संख्या-8/2016/913/38-3-2016-17(अधि0)/2016

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 16 अगस्त, 2016

विषय:- सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0/महिला) को ए0सी0पी0 स्वीकृत करने का अधिकार जनपद स्तर पर प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0ओ0-199/स्था0-2/ग्रा0वि0अ0 संघ/2016, दिनांक 12 जुलाई, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0/महिला) को ए0सी0पी0 स्वीकृत करने का अधिकार जनपद स्तर पर प्रतिनिधानित किये जाने हेतु शासन से निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास (नियुक्ति प्राधिकारी) द्वारा सभी जनपदों में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जायेगा।

(2) मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी में जिला विकास अधिकारी सदस्य तथा मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को सदस्य रखा जायेगा। यदि किसी जनपद में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी तैनात नहीं हैं, तो उनके स्थान पर किसी जनपद स्तरीय वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी को सदस्य रखा जा सकेगा।

(3) स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण/परीक्षण करने के उपरान्त अपनी संस्तुतियां बैठक की तिथि से 15 दिन की अवधि में आयुक्त, ग्राम्य विकास (नियुक्ति प्राधिकारी) को प्रेषित की जायेंगी। अभिलेखों का प्रेषण आयुक्त, ग्राम्य विकास के पास नहीं करना होगा अपितु उनका निरीक्षण/परीक्षण जनपद स्तर पर गठित कमेटी द्वारा करने के उपरान्त केवल स्पष्ट संस्तुतियां प्रेषित की जायेंगी।

(4) स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा प्रेषित संस्तुतियों पर 15 दिन में निर्णय लेकर आदेश निर्गत किये जाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

(5) जनपद स्तर पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2014 में दी गयी व्यवस्थानुसार निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित करायी जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( दीपक त्रिवेदी )
प्रमुख सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in